

समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास का अध्ययन: भोपाल जिले के प्राथमिक विद्यालयों के विशेष संदर्भ में

संध्या कंडारे*¹, डॉ. राजीव सिंह पुंधीर²

¹शोधार्थी, शिक्षा विभाग, मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश), भारत

²प्रोफेसर एवं शोध-निर्देशक, शिक्षा विभाग, मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश),
भारत

Article Received: 06 June 2026, Article Revised: 26 June 2026, Published on: 16 July 2026

*Corresponding Author: संध्या कंडारे

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश), भारत

Doi: <https://doi-doi.org/101555/ijarp.1302>

सार (ABSTRACT)

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा बौद्धिक भिन्नताओं के बावजूद समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (2016) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने समावेशी शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा का अभिन्न अंग माना है। इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के बावजूद प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण, अधिगम उपलब्धि तथा आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य भोपाल जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास का समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना है। अध्ययन में मध्यप्रदेश शासन की समावेशी शिक्षा संबंधी नीतियों, दिव्यांग बच्चों के नामांकन एवं प्रतिधारण की स्थिति, विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, संसाधनों, सहायक उपकरणों, छात्रवृत्ति, परिवहन सुविधा तथा शिक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अनुभव की गई समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक (Descriptive) अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। विद्यालय अभिलेखों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रधानाध्यापकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2023-24 में दिव्यांग बच्चों का कुल नामांकन 93.57 प्रतिशत रहा, जबकि प्रतिधारण दर में कक्षाओं एवं दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार उल्लेखनीय भिन्नता

पाई गई। प्रारम्भिक कक्षाओं में नामांकन एवं प्रतिधारण अपेक्षाकृत अधिक था, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें कमी देखी गई। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि समावेशी शिक्षा की सफलता केवल नीतिगत प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विद्यालयी अधोसंरचना, प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की उपलब्धता, अभिभावकीय सहभागिता, सहायक उपकरणों की समय पर उपलब्धता तथा प्रभावी प्रशासनिक समन्वय पर भी निर्भर करती है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि यदि विद्यालयों में संसाधन, प्रशिक्षित मानव संसाधन, तकनीकी सहायता तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास, सामाजिक समायोजन एवं आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

मुख्य शब्द (KEYWORDS): समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चे, शैक्षणिक विकास, प्राथमिक विद्यालय, समावेशन, प्रतिधारण, नामांकन, भोपाल जिला

1. परिचय (INTRODUCTION)

विश्व स्तर पर शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक मानवाधिकार माना गया है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) का प्रमुख उद्देश्य "सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार, यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित *Education for All* तथा *Salamanca Statement (1994)* ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक बच्चे को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। भारतीय संविधान समानता, सामाजिक न्याय एवं शिक्षा के समान अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act), दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने समावेशी शिक्षा को भारतीय विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का आधार बनाया है। इन नीतियों का उद्देश्य केवल दिव्यांग बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान सहभागिता तथा सम्मानजनक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना भी है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा केवल "एक ही कक्षा में बैठाने" तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, सीखने की गति, क्षमता तथा रुचियों के अनुसार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अनुकूलन करना है। समावेशी विद्यालयों में शिक्षक, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अधिगम सामग्री तथा विद्यालयी वातावरण सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किए जाते हैं। मध्यप्रदेश शासन ने भी समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनेक नीतियाँ एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम (2019), राज्य दिव्यांगता नीति (2007), समग्र शिक्षा अभियान, छात्रवृत्ति योजनाएँ, सहायक उपकरण

वितरण, एस्कॉर्ट एवं परिवहन सहायता तथा चिकित्सीय शिविर जैसी अनेक योजनाएँ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। यद्यपि नीतिगत स्तर पर पर्याप्त प्रयास किए गए हैं, तथापि व्यवहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। विशेष शिक्षकों की कमी, विद्यालयों में बाधारहित अधोसंरचना का अभाव, उपयुक्त शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता, सहायक उपकरणों के वितरण में विलंब, अभिभावकों की सीमित जागरूकता, आर्थिक कठिनाइयाँ तथा सामाजिक पूर्वाग्रह समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बनते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयी प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की कमी भी अनेक समस्याओं को जन्म देती है।

भोपाल जिला मध्यप्रदेश का एक प्रमुख शैक्षिक एवं प्रशासनिक केन्द्र है, जहाँ शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार के विद्यालयों का व्यापक नेटवर्क उपलब्ध है। यहाँ विविध प्रकार की दिव्यांगताओं वाले बच्चे सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। अतः यह जिला समावेशी शिक्षा की वास्तविक स्थिति, उपलब्धियों तथा चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करता है।

प्रस्तुत अध्ययन इसी संदर्भ में यह जानने का प्रयास करता है कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बच्चों का शैक्षणिक विकास किस सीमा तक संभव हो रहा है तथा कौन-कौन से कारक उनके नामांकन, प्रतिधारण, अधिगम एवं सामाजिक समावेशन को प्रभावित करते हैं। साथ ही यह अध्ययन नीतिगत एवं व्यवहारिक स्तर पर ऐसे सुझाव प्रस्तुत करता है जिनके माध्यम से समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

2. साहित्य समीक्षा (LITERATURE REVIEW)

समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शोध कार्य किए गए हैं। अधिकांश अध्ययनों का निष्कर्ष यह है कि यदि विद्यालयों में आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक तथा सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाए, तो दिव्यांग बच्चे सामान्य विद्यालयों में प्रभावी रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

Ainscow (2005) के अनुसार समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो प्रत्येक विद्यार्थी की विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करती है तथा किसी भी प्रकार के बहिष्करण (Exclusion) को समाप्त करने का प्रयास करती है।

UNESCO (2020) ने अपनी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए विद्यालयी वातावरण, प्रशिक्षित शिक्षक, उपयुक्त अधिगम संसाधन तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

Florian एवं **Black-Hawkins (2011)** का मत है कि समावेशी कक्षाओं में शिक्षकों की सकारात्मक सोच तथा लचीली शिक्षण रणनीतियाँ विद्यार्थियों की उपलब्धि को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती हैं। भारतीय संदर्भ में **MHRD (2020)** द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समावेशी शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा सुधार का प्रमुख आधार माना है तथा दिव्यांग बच्चों के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग (UDL), सहायक तकनीकों तथा विशेष शिक्षकों की उपलब्धता पर विशेष बल दिया है।

Sharma एवं Deppeler (2005) के अनुसार सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा तभी प्रभावी हो सकती है जब शिक्षक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हों तथा विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

Kumar (2018) ने पाया कि दिव्यांग बच्चों के विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारणों में आर्थिक कठिनाइयाँ, सामाजिक कलंक, परिवहन सुविधा का अभाव तथा विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की कमी प्रमुख हैं।

Singal (2016) ने भारत में समावेशी शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करते हुए बताया कि नीतिगत स्तर पर उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, किन्तु व्यावहारिक स्तर पर संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी अभी भी प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

मध्यप्रदेश में समावेशी शिक्षा पर उपलब्ध अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है, किन्तु प्रतिधारण, नियमित उपस्थिति तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं। आपके अध्ययन के आँकड़े भी यह संकेत देते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि उच्च कक्षाओं में प्रतिधारण में कमी देखी जाती है।

उपलब्ध साहित्य यह भी इंगित करता है कि समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय एवं प्रशासन के मध्य समन्वित प्रयासों पर आधारित होती है। इसलिए वर्तमान अध्ययन भोपाल जिले के संदर्भ में इन सभी आयामों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा समावेशी शिक्षा की व्यावहारिक चुनौतियों एवं संभावनाओं को रेखांकित करता है।

3. शोध पद्धति (RESEARCH METHODOLOGY)

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive Survey Research) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical Research) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य भोपाल जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास का समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बहुआयामी विश्लेषण करना है। अध्ययन में मात्रात्मक (Quantitative) तथा गुणात्मक (Qualitative) दोनों प्रकार की शोध विधियों का समन्वित उपयोग किया गया है, जिससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं व्यापक बन सके। अध्ययन में विद्यालय स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों, प्रधानाध्यापकों, विशेष शिक्षकों, ब्लॉक एवं

- 5) CRP
- 6) BIERT
- 7) विद्यालय अभिलेख

3.3 प्रतिदर्श (Sample)

अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण (Purposive Sampling) एवं स्तरीकृत (Stratified Sampling) पद्धति का उपयोग किया गया। प्रतिदर्श में सम्मिलित किए गए—

प्रतिभागी	विवरण
दिव्यांग विद्यार्थी	प्राथमिक विद्यालयों से
प्रधानाध्यापक	चयनित विद्यालय
BRCC	ब्लॉक स्तर
BRP	ब्लॉक स्तर
CRP	संकुल स्तर
BIERT	समावेशी शिक्षा विशेषज्ञ

3.4 डेटा संग्रहण के स्रोत (Sources of Data Collection)

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया, जिससे अध्ययन को अधिक व्यापक, विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। **प्राथमिक आँकड़ों** के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विद्यालयों का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित की गई। इसके लिए संबंधित हितधारकों से संरचित साक्षात्कार लिए गए, प्रश्नावली के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त की गई तथा विद्यालयों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यालयीय अभिलेखों का अध्ययन किया गया तथा समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं एवं व्यवहारिक समस्याओं के संबंध में जानकारी संकलित की गई।

द्वितीयक आँकड़ों के लिए समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha), *Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPWD Act 2016)*, *National Education Policy, 2020 (NEP 2020)*, *Unified District Information System for Education Plus (UDISE+)*, विद्यालयीय अभिलेखों तथा जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों एवं प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी का उपयोग अध्ययन के निष्कर्षों को प्रमाणिक एवं तथ्यपरक बनाने के लिए किया गया।

3.5 शोध उपकरण (Research Tools)

अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न शोध उपकरणों का उपयोग किया गया। उत्तरदाताओं से व्यवस्थित एवं तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करने हेतु **संरचित प्रश्नावली** का निर्माण किया गया। समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं अन्य प्रतिभागियों के अनुभवों एवं

विचारों को जानने के लिए **साक्षात्कार अनुसूची** का प्रयोग किया गया। विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं, समावेशी वातावरण, शिक्षण-अधिगम संसाधनों तथा दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करने हेतु **निरीक्षण प्रपत्र** का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति, प्रतिधारण तथा अन्य प्रशासनिक सूचनाओं के विश्लेषण के लिए **विद्यालयीय अभिलेख विश्लेषण प्रपत्र** तैयार किया गया। इन सभी उपकरणों के माध्यम से प्राप्त जानकारी ने अध्ययन को अधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया।

3.6 डेटा विश्लेषण (Data Analysis)

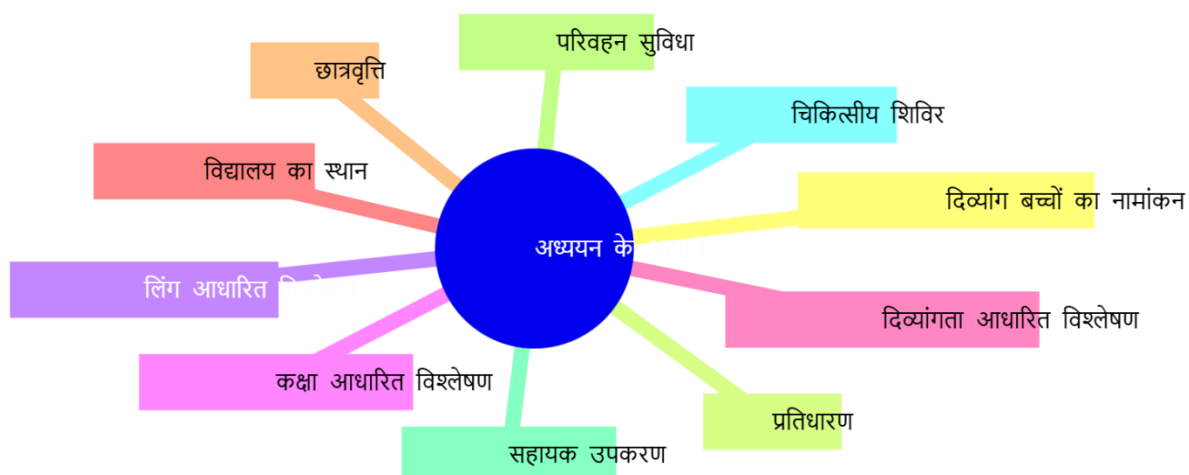
संकलित आँकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी (Descriptive Statistics) की सहायता से किया गया। सर्वप्रथम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का संपादन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण किया गया, ताकि उनका व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया जा सके। इसके पश्चात् आँकड़ों की व्याख्या के लिए **प्रतिशत (Percentage)** तथा **आवृत्ति (Frequency)** का उपयोग किया गया। विभिन्न श्रेणियों एवं समूहों के मध्य समानताओं एवं भिन्नताओं को स्पष्ट करने हेतु **तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)** अपनाया गया। परिणामों को अधिक स्पष्ट, सरल एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए **सारणियाँ (Tables)**, **बार ग्राफ (Bar Graphs)** तथा **पाई चार्ट (Pie Charts)** का उपयोग किया गया। इन सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से अध्ययन के निष्कर्षों को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया।

4. डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण (Data Collection and Analysis)

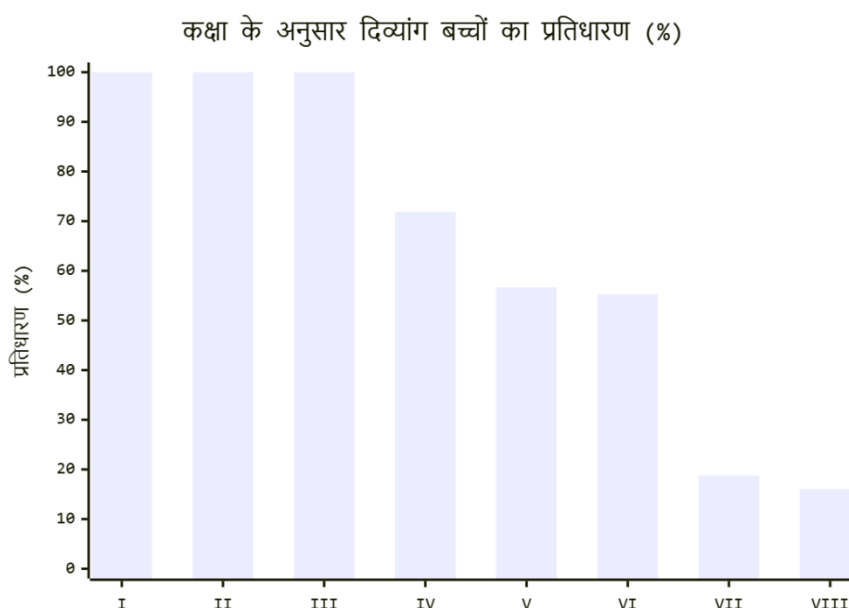
प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत संकलित आँकड़ों का विश्लेषण समावेशी शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण आयामों के आधार पर किया गया। इनमें दिव्यांग बच्चों के **नामांकन, प्रतिधारण, कक्षा-वार वितरण, दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार स्थिति**, तथा **ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों की तुलनात्मक स्थिति** का विस्तृत अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली **छात्रवृत्ति, परिवहन सुविधा, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, पुस्तकों एवं गणवेश का वितरण**, तथा **चिकित्सीय शिविरों** की व्यवस्था का भी विश्लेषण किया गया। समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली **प्रशासनिक समस्याओं**, संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा अनुभव की गई चुनौतियों का भी समग्र मूल्यांकन किया गया।

इन सभी आयामों का विश्लेषण विद्यालयीय अभिलेखों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों तथा अन्य संबंधित उत्तरदाताओं से प्राप्त वास्तविक आँकड़ों के आधार पर किया गया। परिणामों की प्रस्तुति वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप सारणियों, ग्राफों एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से की गई, जिससे

समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति, उसकी उपलब्धियों तथा व्यावहारिक चुनौतियों का समग्र एवं प्रमाणिक चित्र प्रस्तुत किया जा सके।



अध्ययन में विश्लेषित प्रमुख आयाम



कक्षा अनुसार प्रतिधारण (Bar Graph)

कक्षा I, II एवं III में प्रतिधारण शत-प्रतिशत है, जबकि कक्षा VII एवं VIII में इसमें उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। इससे संकेत मिलता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक है।

लिंग के अनुसार प्रतिधारण के विश्लेषण से पता चलता है कि दिव्यांग बालकों की प्रतिधारण दर 67.86 प्रतिशत है जबकि दिव्यांग बालिकाओं की प्रतिधारण दर 59.78 प्रतिशत है, जिससे बालिकाओं का प्रतिधारण बालकों से 8.08 प्रतिशत अंक कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लिंग आधारित अंतर

मौजूद है और बालिकाओं का स्कूल छोड़ने का दर अधिक है। स्थान के अनुसार प्रतिधारण के विश्लेषण से देखा जाता है कि भोपाल उत्तर में प्रतिधारण दर सबसे अधिक 67.74 प्रतिशत है, भोपाल ग्रामीण में 66.02 प्रतिशत है, और भोपाल दक्षिण में सबसे कम 53.85 प्रतिशत है, जिससे भोपाल उत्तर और भोपाल दक्षिण के बीच 13.89 प्रतिशत अंक का अंतर है। इस प्रकार लिंग और क्षेत्र दोनों ही दिव्यांग बच्चों के प्रतिधारण दर को प्रभावित करते हैं, जिसमें बालिकाओं और भोपाल दक्षिण क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। लिंग के अनुसार प्रतिधारण के विश्लेषण से पता चलता है कि दिव्यांग बालकों की प्रतिधारण दर 67.86 प्रतिशत है जबकि दिव्यांग बालिकाओं की प्रतिधारण दर 59.78 प्रतिशत है, जिससे बालिकाओं का प्रतिधारण बालकों से 8.08 प्रतिशत अंक कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लिंग आधारित अंतर मौजूद है और बालिकाओं का स्कूल छोड़ने का दर अधिक है। स्थान के अनुसार प्रतिधारण के विश्लेषण से देखा जाता है कि भोपाल उत्तर में प्रतिधारण दर सबसे अधिक 67.74 प्रतिशत है, भोपाल ग्रामीण में 66.02 प्रतिशत है, और भोपाल दक्षिण में सबसे कम 53.85 प्रतिशत है, जिससे भोपाल उत्तर और भोपाल दक्षिण के बीच 13.89 प्रतिशत अंक का अंतर है। इस प्रकार लिंग और क्षेत्र दोनों ही दिव्यांग बच्चों के प्रतिधारण दर को प्रभावित करते हैं, जिसमें बालिकाओं और भोपाल दक्षिण क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है।

प्रारम्भिक विश्लेषण

उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नामांकन एवं प्रतिधारण की स्थिति प्रारम्भिक कक्षाओं में संतोषजनक है, किन्तु उच्च कक्षाओं में प्रतिधारण दर में कमी आती है। इसी प्रकार, ग्रामीण एवं उत्तर क्षेत्र की तुलना में भोपाल दक्षिण क्षेत्र में प्रतिधारण अपेक्षाकृत कम पाया गया। लिंग के आधार पर भी बालकों का प्रतिधारण बालिकाओं की अपेक्षा अधिक रहा। ये निष्कर्ष समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

5. परिणाम एवं चर्चा (Results and Discussion)

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत भोपाल जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास को समावेशी शिक्षा के विभिन्न आयामों के आधार पर विश्लेषित किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि सरकारी योजनाओं एवं समग्र शिक्षा अभियान के कारण नामांकन एवं प्रारम्भिक प्रतिधारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तथापि उच्च कक्षाओं, कुछ विशिष्ट दिव्यांगताओं तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अभी भी सुधार की पर्याप्त आवश्यकता है।

5.1 लिंग के आधार पर दिव्यांग बच्चों का प्रतिधारण

सारणी 5.1

लिंग के अनुसार प्रतिधारण

लिंग	कुल प्रवेशित	वर्ष 2023-24 तक अध्ययनरत	प्रतिधारण (%)
बालक	112	76	67.86
बालिका	92	55	59.78

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि दिव्यांग बालकों का प्रतिधारण (67.86%) दिव्यांग बालिकाओं (59.78%) की तुलना में अधिक है। यह अंतर सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक कारणों से संबंधित हो सकता है। अनेक ग्रामीण परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा की अपेक्षा घरेलू कार्यों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षित परिवहन, सामाजिक सुरक्षा तथा अभिभावकीय दृष्टिकोण भी बालिकाओं के विद्यालय में निरंतर बने रहने को प्रभावित करते हैं। यह निष्कर्ष भारत में समावेशी शिक्षा पर किए गए पूर्व अध्ययनों से भी मेल खाता है, जिनमें दिव्यांग बालिकाओं की विद्यालय उपस्थिति एवं निरंतरता अपेक्षाकृत कम पाई गई है।

5.2 कक्षा के अनुसार प्रतिधारण

सारणी 5.2

कक्षा	प्रतिधारण (%)
I	100
II	100
III	100
IV	71.88
V	56.67
VI	55.26
VII	18.75
VIII	16.00

प्रारम्भिक तीन कक्षाओं में प्रतिधारण शत-प्रतिशत पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारम्भिक नामांकन एवं विद्यालय में बनाए रखने के प्रयास प्रभावी रहे हैं।

किन्तु कक्षा V से VIII तक प्रतिधारण में तीव्र गिरावट देखी गई। इसके प्रमुख कारण निम्न हो सकते हैं—

- बढ़ती शैक्षणिक कठिनाई
- विशेष शिक्षकों की कमी
- पारिवारिक आर्थिक समस्याएँ
- किशोरावस्था में विद्यालय छोड़ना

- परिवहन सुविधा का अभाव

5.3 दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार प्रतिधारण

सारणी 5.3

दिव्यांगता	प्रतिधारण (%)
दृष्टिबाधिता	63.16
सेरेब्रल पाल्सी	28.57
चलन अक्षमता	77.78
मानसिक मंदता	60.71
श्रवण बाधिता	68.42
बहु-दिव्यांगता	56.25
ऑटिज्म	100.00
वाक्-दोष	79.17
अधिगम अक्षमता	72.73

विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि **ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार** वाले बच्चों का प्रतिधारण सर्वाधिक (100%) पाया गया, जबकि **सेरेब्रल पाल्सी** वाले बच्चों का प्रतिधारण न्यूनतम (28.57%) रहा। यह दर्शाता है कि गंभीर शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विद्यालयों में पर्याप्त सहायक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

वाक्-दोष तथा चलन-अक्षम बच्चों का प्रतिधारण अपेक्षाकृत अधिक पाया गया, क्योंकि उचित सहायक उपकरण उपलब्ध होने पर ये बच्चे सामान्य विद्यालयी गतिविधियों में अपेक्षाकृत आसानी से भाग ले सकते हैं।

5.4 स्थान के अनुसार प्रतिधारण

सारणी 5.4

क्षेत्र	प्रतिधारण (%)
भोपाल ग्रामीण	66.02
भोपाल उत्तर	67.74
भोपाल दक्षिण	53.85

भोपाल उत्तर जिले में प्रतिधारण सर्वाधिक (67.74%) तथा भोपाल दक्षिण में न्यूनतम (53.85%) पाया गया। यह अंतर विद्यालयी सुविधाओं, परिवहन, सामाजिक जागरूकता तथा प्रशासनिक सहयोग में क्षेत्रीय भिन्नताओं की ओर संकेत करता है।

5.5 छात्रवृत्ति व्यवस्था का विश्लेषण

अध्ययन में अधिकांश प्रशासकों ने बताया कि छात्रवृत्ति की राशि सीधे बच्चों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती थी। तथापि, लगभग सभी उत्तरदाताओं का मत था कि वर्तमान छात्रवृत्ति राशि दिव्यांग बच्चों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपर्याप्त है। अनेक मामलों में आधार कार्ड, बैंक विवरण अथवा चिकित्सीय प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध न होने के कारण पात्र बच्चे भी लाभ से वंचित रह गए।

5.6 एस्कॉर्ट एवं परिवहन सुविधा

उत्तरदाताओं ने माना कि परिवहन एवं एस्कॉर्ट सुविधा की राशि वास्तविक व्यय की तुलना में बहुत कम है। अधिकांश अभिभावकों ने विद्यालय तक सुरक्षित पिक-अप-ड्रॉप सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, जिससे विशेष रूप से गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाई जा सके।

5.7 सहायक उपकरणों की उपलब्धता

यद्यपि सरकारी स्तर पर सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, फिर भी अनेक प्रधानाध्यापकों ने बताया कि उपकरण समय पर नहीं पहुँचते, कुछ उपकरण दोषपूर्ण होते हैं तथा मरम्मत की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। कई उत्तरदाताओं ने उपकरणों के उपयोग हेतु अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

5.8 पुस्तकों एवं गणवेश की उपलब्धता

अध्ययन में पाया गया कि सामान्य पाठ्यपुस्तकें सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं हैं। विशेषकर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल एवं बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें तथा गंभीर मानसिक एवं बहु-दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूलित शिक्षण सामग्री की आवश्यकता अनुभव की गई। साथ ही, विद्यालयों में स्थायी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

6. विस्तृत चर्चा (DISCUSSION)

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि भोपाल जिले के प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप दिव्यांग बच्चों के विद्यालयी नामांकन एवं प्रारम्भिक प्रतिधारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तथापि, समावेशी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल विद्यालय में प्रवेश दिलाना नहीं, बल्कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के समग्र शैक्षणिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास को सुनिश्चित करना है। अध्ययन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया जाना आवश्यक है। अध्ययन में यह पाया गया कि कक्षा I से III तक प्रतिधारण शत-प्रतिशत था, जबकि उच्च कक्षाओं में यह क्रमशः घटता गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन अभियान

प्रभावी रहे हैं, किन्तु बच्चों को दीर्घकाल तक विद्यालय में बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक एवं सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। यह निष्कर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के उस दृष्टिकोण का समर्थन करता है जिसमें गुणवत्तापूर्ण एवं सतत समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है।

लिंग के आधार पर विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का प्रतिधारण कम था। यह केवल विद्यालयी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी द्योतक है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में दिव्यांग बालिकाओं की शिक्षा को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल पाती। अतः समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए विद्यालय एवं समुदाय दोनों स्तरों पर लैंगिक संवेदनशीलता विकसित करना आवश्यक है। दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि वाक्-दोष, चलन-अक्षमता एवं ऑटिज़्म वाले बच्चों का प्रतिधारण अपेक्षाकृत अधिक था, जबकि सेरेब्रल पाल्सी एवं बहु-दिव्यांग बच्चों के प्रतिधारण में उल्लेखनीय कमी पाई गई। इसका मुख्य कारण विद्यालयों में सहायक उपकरणों, विशेष शिक्षकों, फिजियोथेरेपी, व्यक्तिगत सहायता तथा सुलभ अधोसंरचना का अभाव है। क्षेत्रीय विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि भोपाल उत्तर एवं ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में भोपाल दक्षिण क्षेत्र में प्रतिधारण कम था। इससे यह संकेत मिलता है कि समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था, विद्यालयी संसाधन, परिवहन सुविधा एवं सामुदायिक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7. निष्कर्ष (CONCLUSION)

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भोपाल जिले के प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के नामांकन में वृद्धि, प्रारम्भिक कक्षाओं में उच्च प्रतिधारण तथा सरकारी योजनाओं के विस्तार से समावेशी शिक्षा को नई गति मिली है। तथापि, अध्ययन यह भी इंगित करता है कि समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता केवल नामांकन बढ़ाने से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उसके लिए सतत शैक्षणिक सहयोग, समुचित संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रभावी प्रशासनिक तंत्र आवश्यक है। अध्ययन में पाया गया कि उच्च कक्षाओं में प्रतिधारण में कमी, विशेष शिक्षकों की अपर्याप्त उपलब्धता, परिवहन सुविधा की सीमाएँ, सहायक उपकरणों की समय पर उपलब्धता का अभाव तथा अभिभावकों की सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियाँ समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगता के विभिन्न प्रकारों के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक सहयोग में भी पर्याप्त विविधता नहीं पाई गई।

अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि यदि विद्यालयी अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए, विशेष शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की जाए, सहायक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाए तथा

अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए, तो समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास, सामाजिक समावेशन, आत्मविश्वास एवं जीवन-कौशल के विकास का अत्यंत प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकती है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं मानवीय गरिमा की स्थापना की दिशा में एक व्यापक परिवर्तनकारी पहल है। इसकी सफलता के लिए नीति-निर्माताओं, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों एवं समाज के समन्वित प्रयास अनिवार्य हैं।

संदर्भ (REFERENCES)

पुस्तकों एवं शोध ग्रंथों

1. Ainscow, M. (2005). *Developing inclusive education systems: What are the levers for change?* Journal of Educational Change, 6(2), 109–124.
2. Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge.
3. Best, J. W., & Kahn, J. V. (2019). *Research in Education* (11th ed.). Pearson.
4. Florian, L. (2014). *The SAGE handbook of special education*. Sage Publications.
5. Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828.
6. Friend, M., & Bursuck, W. D. (2019). *Including students with special needs* (8th ed.). Pearson.
7. Gargiulo, R. M., & Bouck, E. C. (2020). *Special Education in Contemporary Society* (7th ed.). Sage.
8. Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2018). *Exceptional learners* (14th ed.). Pearson.
9. Heward, W. L. (2018). *Exceptional children: An introduction to special education* (11th ed.). Pearson.
10. Mangal, S. K. (2017). *Advanced Educational Psychology*. PHI Learning.

समावेशी शिक्षा पर प्रमुख शोध

11. Sharma, U., & Deppeler, J. (2005). Integrated education in India. *International Journal of Disability, Development and Education*, 52(1), 55–66.
12. Sharma, U., Forlin, C., & Loreman, T. (2008). Impact of teacher education on attitudes towards inclusion. *Disability & Society*, 23(7), 773–785.

13. Singal, N. (2006). Inclusive education in India. *International Journal of Inclusive Education*, 10(4–5), 351–369.
14. Singal, N. (2016). Education of children with disabilities in India. *Prospects*, 46(1), 121–134.
15. Slee, R. (2018). *Inclusive Education Isn't Dead, It Just Smells Funny*. Routledge.
16. UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. UNESCO.
17. UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education*. UNESCO.
18. UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together*. UNESCO.
19. UNICEF. (2021). *Seen, Counted, Included*. UNICEF.
20. World Bank. (2022). *Disability Inclusion Overview*. World Bank.

भारतीय संदर्भ

21. Government of India. (2009). *The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009*.
22. Government of India. (2016). *The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016*.
23. Government of India. (2017). *Rights of Persons with Disabilities Rules*.
24. Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*.
25. Ministry of Education. (2021). *Samagra Shiksha Framework for Implementation*.
26. Ministry of Social Justice and Empowerment. (2022). *Annual Report*.
27. NCERT. (2006). *Position Paper on Education of Children with Special Needs*.
28. NCERT. (2019). *Learning Outcomes at the Elementary Stage*.
29. NCERT. (2021). *Guidelines for Inclusive Education*.
30. NIEPA. (2020). *Educational Statistics at a Glance*.

UDISE एवं सरकारी रिपोर्ट

31. UDISE+. (2021). *Unified District Information System for Education Plus Report*.
32. UDISE+. (2022). *School Education in India*.
33. Department of School Education & Literacy. (2022). *Performance Grading Index*.
34. Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2022). *Children with Disabilities in India*.
35. Census of India. (2011). *Data on Disability*.

भारतीय शोध लेख

36. Agrawal, J. C. (2015). *Educational Research*. Arya Book Depot.

37. Bhatnagar, N., & Das, A. (2014). Inclusive education in India. *Electronic Journal for Inclusive Education*, 3(4), 1–15.
38. Das, A. K. (2019). Inclusive education in India: Policy and practice. *International Journal of Inclusive Education*.
39. Julka, A. (2015). *Including Children with Special Needs*. NCERT.
40. Julka, A., & Mishra, S. (2018). Inclusive education practices in India. *NCERT Journal*.
41. Kaur, M. (2018). Inclusive education in elementary schools. *Indian Educational Review*.
42. Kumar, P. (2018). Inclusive education and challenges in India. *University News*.
43. Mishra, R. C. (2019). *Educational Research*. APH Publishing.
44. Panda, K. C. (2016). *Education of Exceptional Children*. Vikas Publishing.
45. Sharma, R. A. (2017). *Inclusive Education*. R. Lall Book Depot.

अंतरराष्ट्रीय शोध

46. Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards inclusion. *Teaching and Teacher Education*, 18(2), 129–147.
47. Forlin, C. (2010). *Teacher education for inclusion*. Routledge.
48. Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2011). *Inclusive education*. Routledge.
49. Norwich, B. (2014). *Changing policy and practice in special education*. Routledge.
50. United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.